अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 23/2015

इन्दू देवी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश दिनांक 23.09.2011 (50 मु0, दिनांक 28.09.2011 के द्वारा संसूचित) के विरुद्ध दाखिल है। यह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर के द्वारा भेल्दी थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 86/2011 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.07.2011 को सुबह 11·00 बजे इन्दू देवी, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–113/2007,सा0–चॉदपुरा, पंचायत–शेखपुरा, प्रखंड–अमनौर की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की दुकान से समबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा सूचित किया गया कि किरासन तेल एवं खाद्यान का नियमित वितरण नही किया जाता है। (4) उपभोक्ताओं द्वारा सूचित किया गया कि विक्रेता द्वारा 17 रूपया प्रति लीटर की दर से किरासन तेल दिया जाता है। (5) उपभोक्ताओं के द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विक्रेता के द्वारा एक साथ दो कूपन फाड़ लिया जाता है और मना करने पर जाति सूचक शब्द एवं भद्दी बातें कही जाती है।	

(6) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण उनके स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी उनके धर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नही किया गया है।

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 1300, दिनांक 27.07.2011 एवं ज्ञापांक 1544 गो0, दिनांक 05.09.2011 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा दिनांक 01.08.2011 को अपना जवाब एवं प्रासंगिक कागजातों की प्रति प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

दिनांक 25.07.2011 को की गई उक्त जाँच के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी संख्या 86/11 दर्ज की गई।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि भेल्दी थाना कांड संख्या 86/2011 से संबंधित विचारण वाद संख्या 2195/13 में नामजद व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश दिनांक 23.09.2011 को निरस्त करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी से संबंधित विचारण वाद का अंतिम रूप से निष्पादन करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि भेल्दी थाना कांड संख्या 86/2011 से संबंधित विचारण वाद संख्या 2195/2013 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2013 के कांडिका 10 में अंकित किया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में उनके द्वारा भेल्दी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस तरह माननीय न्यायालय के द्वारा विचारोपरांत संदेह का लाभ देते हुए इस वाद के

अपीलार्थी सहित अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया है।

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कराई गई जाँच एवं जाँच के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के आलोक में निर्गत आदेश अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 07.05.2015 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

10/06/15
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 398 /दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्धान विशेष लोक अभियोजक 7 ई0सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेत प्रेषित।

10/6/15
वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।